केशरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

## संघ विधान–पत्र

1. **संस्था का नामः–** इस संस्था का नाम केशरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान (K.G. Institute for Social welfare) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः–** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सिंगनोर, झुन्झुनू (राज०) राजस्थान राज्य है तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः–** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

1 (1) हर उम्र के वयस्क और बच्चों के आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास की व्यवस्था और उत्थान के लिए करना।

2 (2) शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओं और शैक्षिक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देना और जरूरतमंदों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान

3 करना और निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों या व्यक्तियों के उत्थान, जीवन के लिए दवाइयों और अन्य सहायता और निर्धन वर्ग के किसी भी व्यक्ति के वित्तीय उत्थान

4 की व्यवस्था और प्रबन्ध करना।

(3) राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐसे अन्य पर्वों और

5 जयन्तियों, जो इस उद्देश्य के पूरक हैं, के आयोजनों के लिए सहायता करना, उनका इन्तजाम करना और प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना।

6 (4) चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्रों और चिकित्सीय उपचार की सभी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में लगकर चिकित्सा अनुसंधान करना ताकि उत्तम तरीके से चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष — मनीराम मन्त्री — कोषाध्यक्ष

12/3/15

मनीराम

मंत्री

अध्यक्ष

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

7\. (5) विभिन्न सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना, स्थापित करना, पोषित करना / सहायता करना और आम जनता के उपयोग और कल्याण के लिए आधुनिक हालों, वीथिकाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों और ऐसी अन्य संस्थाओं का निर्माण करना और विकास करना।

8\. (6) बच्चों का संपूर्ण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर सेकेण्डरी माध्यमिक और स्नातक शिक्षा देने के उद्देश्य से,

9\. मान्यता लेकर विद्यालय व महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबन्ध करना और रख-रखाव करना।

10\. (7) शिक्षा और शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विभागों से अनुसंधान करवाना।

11\. (8) जागरूकता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यानों, निबन्ध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और गोष्ठियों द्वारा [illegible] सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक

12\. कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

13\. (9) ऐसे सभी [illegible] कार्य क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हो और सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए

14\. आनुषंगिक या सहयोगी हो।

(10) ऐसा कोई अन्य कार्य या चीज करना जो ऊपर बताये गये

15\. उद्देश्यों में से किसी को भी सहयोगी हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष | मनीराम मन्त्री | कोषाध्यक्ष

15/7/15

मनीराम

अध्यक्ष मंत्री

[illegible] देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(8)

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण ...... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

## विधान ( नियमावली )

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान (K.G. Institute for Social welfare) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सिंगनोर, झुन्झुनू (राज०) है राजस्थान राज्य तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. (1) हर उम्र के वयस्क और बच्चो के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास की अभिवृद्धि और उत्थान करना।
2. (2) शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओ और शैक्षिक प्रतियोगिताओ के पुरस्कार देना और जरूरतमंदो के लिए छात्रवृतियाँ प्रदान करना और निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों या व्यक्तियो के
3. ... के लिए दवाइयो और अन्य सहायता ... वर्ग के किसी भी व्यक्ति के वित्तीय उत्थान की व्यवस्था और प्रबन्ध करना।
4. (3) राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐसे अन्य पर्वों और जयन्तियों जो इस उद्देश्य के पूरक हो, के आयोजनों के लिए सहायता करना, उनका इन्तजाम करना और प्रोत्साहित और
5. प्रोन्नत करना।
   (4) चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्रों और चिकित्सीय उपचार की
6. सभी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में लगकर चिकित्सा अनुसंधान करना ताकि उत्तक तरीके से चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष — मनीराम मन्त्री — कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष मनीराम मंत्री

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

(5) विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करना, स्थापित करना, प्रोन्नत करना। सहायता करना और आम जनता के उपयोग और कल्याण के लिए सामुदायिक हालों, शौचालयों, पूर्त चिकित्सालयों, पुस्तकालयों और अन्य भवनों, संस्थानों का निर्माण करना और विकास करना।

(6) बच्चों को ठोस पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर विद्यालय व महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।

(7) शिक्षा और शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विद्याओं में अनुसंधान करना।

(8) जागरुकता कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यानों, निबंध प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और सेमिनारों द्वारा साक्षरता, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना।

(9) ऐसी अन्य बातें / कार्य / क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हो और सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुषंगिक या सहयोगी हो।

(10) ऐसा कोई अन्य कार्य या चीज करना जो ऊपर बताये गये उद्देश्य में से किसी को भी सहयोगी हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष　　मन्त्री　　कोषाध्यक्ष

मनीराम

अध्यक्ष　　मनीराम मंत्री

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

~~1-संरक्षक~~

~~2-विशिष्ठ~~

~~3-सम्माननीय~~

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक राशि.......—.........वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ राशि.......—.........वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि.......—.........वार्षिक

4-साधारण राशि....10000/-....वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .......एक मुश्त.......

की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।



मनीराम

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

मनीराम

अध्यक्ष मंत्री

केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. साधारण सभा :- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा [illegible] जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।



अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ............ 5 ............ पदाधिकारी व ...... 10 ...... सदस्य कुल ......... 15 ......... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :– संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2– चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3– चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1– सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2– वार्षिक बजट तैयार करना।

3– संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4– वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5– साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6– कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7– अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।



अध्यक्ष मनीराम मन्त्री कोषाध्यक्ष

मनीराम

अध्यक्ष मंत्री

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

**14. कार्यकारिणी की बैठकें :-** 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

**15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :-** संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

**1-अध्यक्ष :**

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

**2-उपाध्यक्ष :**

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

**3-मन्त्री :**

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।



अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष मंत्री

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा इनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जायें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।



मनीराम
अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

12/3/15

मनीराम
अध्यक्ष मंत्री

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1–अध्यक्ष 5,00000/– रु.

2–मन्त्री 4,00,000/– रु.

3–कोषाध्यक्ष 3,00,000/– रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक
2. संस्था का नाम
3. किस्म दस्तावेज.
4. दस्तावेजों की संख्या
5. दिनांक पंजीयन
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्थाऐं

रजिस्ट्रार संस्थाऐं झुन्झुनू

18. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष



अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाऐं झुन्झुनू

मनीराम
मंत्री
अध्यक्ष
केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

## संस्था:—केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान सिंगनोर, जिला झुन्झुनुं (राज.)

### नवीन प्रबन्ध कार्यकारिणी

पंजीयन संख्या: 191 / झु. / 2014—15

दिनांक 24 / 02 / 2019

| क्र. स. | नाम | पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. हरिसिंह गोदारा | स्वर्गीय श्री भगवान सिंह गोदारा | कृषि | गोदारो का बास,सिंगनोर,झुन्झुनूं | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती वेदकोर | W/O श्री विद्याधर गोदारा | कृषि | गोदारो का बास, सिंगनोर,झुन्झुनूं | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री मनीराम | श्री हरिराम | कृषि | जाखड़ों की ढाणी, परसरामपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं | सचिव |
| 4. | डॉ.प्रतिभा | W/O श्री मनीष गोदारा | अध्यापन | गोदारो का बास,सिंगनोर,झुन्झुनूं | कोषाध्यक्ष |
| 5. | सुश्री वृंद्रा गोदारा | श्री विद्याधर गोदारा | अध्यापन | A-136 RIICO झुन्झुनूं | सदस्य |
| | श्री विक्रम सिंह | श्री मनीराम | अध्ययनरत | जाखड़ों की ढाणी, परसरामपुरा,नवलगढ़, झुन्झुनूं | सदस्य |
| 7. | श्री विद्याधर गोदारा | स्वर्गीय श्री भगवान सिंह गोदारा | सरकारी सेवा | गोदारो का बास,सिंगनोर,झुन्झुनूं | सदस्य |
| 8. | डॉ. अमीलाल कुल्हरी | श्री [illegible] राम | सरकारी सेवा | A-35, सेक्टर—1, सैनिक कॉलोनी,चुरू | सदस्य |
| 9. | श्रीमती जया कुल्हरी | W/O डॉ. अमीलाल कुल्हरी | सरकारी सेवा | A-35, सेक्टर—1, सैनिक कॉलोनी,चुरू | सदस्य |
| 10. | श्री कुमाराम प्रजापत | श्री हरचंद | सरकारी सेवा | 576, भालेरी,तारानगर,चूरू | सदस्य |
| 11. | डॉ.सुरेन्द्र सिंह | श्री गोवर्धन सिंह | सरकारी सेवा | R-4/14 विद्युत विहार कॉलोनी,बाड़मेर | सदस्य |
| 12. | श्रीमती गीतान्जली | W/O श्री सुरेन्द्र सिंह | सरकारी सेवा | R-4/14 विद्युत विहार कॉलोनी,बाड़मेर | सदस्य |
| 13. | निर्मला कुमारी | श्री श्रीचन्द | गृहणी | वार्ड न. 02 रघुनाथपुरा,झुन्झुनूं | सदस्य |
| 14. | श्रीमती सुमित्रा देवी | W/O श्री रामप्रताप सिंह | कृषक | गोदारो का बास,सिंगनोर,झुन्झुनूं | सदस्य |
| 15. | देवकरण सिंह | श्री त्रिलोकाराम | कृषि | गोदारो का बास,सिंगनोर,झुन्झुनूं | सदस्य |

राजस्थान [illegible]
प्रमाणित किया जाता है [illegible]
किये गये [illegible]
सं. 17 [illegible] 01
[illegible] करने वाले के हस्ताक्षर सुमन
प्रमाणित [illegible] दिनांक 25.3.2019

मनीराम
(मंत्री)
अध्यक्ष
केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

अध्यक्ष
केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

कोषाध्यक्ष

मनीराम
सचिव

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner